# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 5719 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2018 रायपुर, दिनांक: 24 / 01/2018

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 08.01.2018 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक–कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा – सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
4. डॉ. एच.के. पाठक – सदस्य
5. डॉ. बशीर हसन – सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
7. डॉ. विजय अग्रवाल – सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती – सदस्य
9. डॉ. सी.एल. पटेल – सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा – सदस्य
11. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
12. डॉ. संदीप वानसूत्रे कुलसचिव – सचिव

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

**कार्यवृत्त :–**

01. संशोधित अध्यादेश–45 के क्रियान्वयन एवं शोध कार्य हेतु प्रक्रिया का निर्धारण हेतु विचार करना।

**निर्णयः** 1. शोध निर्देशक तथा सह–निर्देशक का निर्धारण–

| Sr. No. | Name of Post | No. of Seats | Reservation | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ST | SC | OBC | UR |
| 01 | Professor | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 02 | Assoicate Professor | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 03 | Assistant Professor | 4 | 1 | NIL | 1 | 2 |

उपरोक्त के साथ ही सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित होगा।

2. ऐसे शोध निर्देशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं है, उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निर्देशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किया जावेगा तथा शोधार्थी को शोध केन्द्र में एक सह–निर्देशक लेना होगा।

3. वर्ष 2017 में कोर्स वर्क पूर्ण कर चुके ऐसे शोध छात्र जिनके शोध निर्देशक/शोध केन्द्र दुर्ग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में है, उनकी शोध रूपरेखा पंजीयन हेतु विचारार्थ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी एवं इनका पंजीयन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दिया जावेगा।

4. शिक्षा संकाय में पी–एच.डी. हेतु इस विश्वविद्यालय के सीमांतर्गत कोई भी शोध केन्द्र नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के अध्यापक शिक्षा संस्थान को शोध केन्द्र बनाने पर समस्त संकायाध्यक्षों ने सहमति प्रदान किया।

5. अध्यादेश 45 के पैरा 8 के अनुसार निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में **Scientist/Director/Research Officer/Supervisor/Co-Supervisor, RDC** के अनुशंसा के आधार पर हो सकेंगे तथा उनके साथ एक **Supervisor/Co-Supervisor** विश्वविद्यालय से भी लेना होगा।

6. पूर्व से पंजीकृत छात्र संशोधन पूर्व अध्यादेश के अधीन ही संचालित होंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 5720 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2018** रायपुर, दिनांक: 24/ **01 /2018**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)